नरेन्द्र कुमार बनाम सरकार

विविध प्रार्थना पत्र

प्र.सं. 92 / 2023 जी.सी.एम.एस. आईडी : 2023 / 107

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
03.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण संजीव कुमार–राजेश कुमार आदि उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ उपस्थित। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक प्रार्थी नरेन्द्र कुमार की मृत्यु लाऔलाद हो जाने के कारण उनका कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं होने से द्वितीय श्रेणी को वारिसों को बतौर प्रार्थी पक्षकार प्रतिस्थापित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए निवेदन किया। अप्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तथा प्रार्थी नरेन्द्र की मृत्यु इतने वर्षों पश्चात यह आवेदन प्रस्तुत किया हैं, प्रार्थना पत्र का उपशमन हो चुका हैं। देरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रार्थना के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी नरेन्द्र कुमार द्वारा जरिए पिता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.01.2004 के तहत प्रार्थी से बकाया किश्त जमा करवाते हुए रकबा बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। प्रार्थीगण राजेश कुमार–संजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदनकर्ता की मृत्यु लाऔलाद हो चुकी हैं। जिसका प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं हैं। प्रार्थीगण व अन्य द्वितीय श्रेणी के वारिस हैं को सुनवाई का अवसर दिया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध हो कि आवेदनकर्ता का प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं व प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित व्यक्ति ही द्वितीय श्रेणी के वारिस हैं। साथ ही प्राथीगण द्वारा आवेदनकर्ता की मृत्यु दिनांक 10.07.2000 को होना अंकित किया हैं लेकिन आवेदनकर्ता की मृत्यु के इतने वर्षों के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करने पर भी आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ता को नोटिस प्रेषित किया गया था, जो आवेदनकर्ता के भतीजा पर तामील हुआ हैं। आवेदनकर्ता नरेन्द्र कुमार प्रकरण में उपस्थित नहीं आए हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि आवेदनकर्ता नरेन्द्र कुमार का देहान्त हो चुका हैं। प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका हैं। अतः प्रार्थना पत्र अ[illegible] पर खारिज योग्य हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अस्वीकार किया [illegible]। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त [illegible]लख लौटाया जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अवधेश मीना) I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:46 IST
Reason: SelfAttested